M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

हाउस कीपिंग आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रफल के आधार पर कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 19.06.2020

महाप्रबंधक

(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./ 2020–21/ दिनांक 04.06.2020

निविदा सूचना

निगम द्वारा (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निम्नानुसार कार्यों हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरे आमंत्रित की जाती है–

(1) अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु
(2) ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु
(3) लोडिंग/ अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु
(4) हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु
(5) सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु

निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 19-06-2020 तक अपरान्ह् 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./ 2019–20/ दिनांक 29.05.2020

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों के संचालन का कार्य किया जा रहा है जिनकी उत्पादन क्षमता निम्नानुसार हैः–

क्र	स्थान का नाम	कुल स्थापित क्षमता (मी टन)	उत्पादित की जाने वाली सामग्री
01	देवास, धार सागर, मण्डला, शिवपुरी, रीवा	2,500	1680 मी.टन पावडर, 820 मी.टन खिचड़ी
02	बाड़ी संयंत्र	1600	1200 मी.टन पावडर, 400 मी.टन खिचड़ी
03	होशंगाबाद	600	400 मी.टन पावडर, 200 मी.टन खिचड़ी

इन संयंत्रों में निम्न कार्यो को ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	स्थान	निविदा प्रपत्र राशि (रू. में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रू. में) *	
1	2	3	4	5	6
01	अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	2,38,000/–	(क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 38000/– एवं क्रं 3 हेतु 10000/–)
02	ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	2,94,000/–	(क्रमांक 1 एवं 2 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 47000/– एवं क्रं 3 हेतु 12000/–)
03	लोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना एवं अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	1,87,000/–	क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 30000/– एवं क्रं 3 हेतु 7000/–)
04	हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	128000/–	क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 20000/– एवं क्रं 3 हेतु 8000/–)
05	सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु	बाड़ी देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र	5,900/–	80000/–	क्रमांक 1, 2 एवं 3 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 10000/–

** संकल्प धन राशि प्रत्येक संयंत्र हेतु कालम 6 के अनुसार निर्धारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को उपरोक्त कालम 5 में दर्शाऐ अनुसार पूर्ण राशि जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।*

उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र तैयार किए गए हैं । इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें । निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 19.06.2020 तक अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 19.6.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोला जाएगा । योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

विभिन्न पूरक पोषण आहार संयंत्रों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) हेतु हाउस कीपिंग आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु (इसें आगे चलकर हाउस कीपिंग कहा गया है) की निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 1.06.**2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक**
संकल्प धन राशि (EMD)	2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 30,000/– (रू तीस हजार मात्र) 600 मी.टन क्षमता के संयंत्र हेतु रू रू 7,000/– (रू सात हजार मात्र)
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	**दिनांक** 1.06.**2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक**
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 12.06.2020 अपरान्ह 3.00 बजे एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भेपाल में महाप्रबधंक (पोषण आहार) के कक्ष में होगी ।
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 19.06.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि0 19.06.2020 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय–समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

विभिन्न पोषण आहार संयंत्रों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) हाउस कीपिंग आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रफल के आधार पर ठेका पद्धति के से दिनांक **31.03.2021 एवं आगे की अवधि में** करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 21 पृष्ठ निम्नानुसार हैः–

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	7–8
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	9–18
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	19
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची –4	20
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –5	21

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

●	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
●	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य में देवास, धार, सागर मण्डला, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्र
●	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
●	ठेकेदार	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर हाउस कीपिंग कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
●	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 6 के अनुसार
●	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 12 के अनुसार
●	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
●	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
●	संयंत्र प्रभारी	संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

पोषण आहार संयंत्रों में हाउस कीपिंग का कार्य ठेका पद्धति से करने हेतु करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय– हाउस कीपिंग कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्रों में हाउस कीपिंग का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / अन्य	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने / हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्रं0 फैक्स क्रमांक Email	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर	....
7	निविदा पत्र का मूल्य **GST** सहित राशि रू 5,900 / –	To be Submitted Online
8	**संकल्प धन राशि (EMD) रू 128000 / –** देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 20,000 / निर्धारित है तथा होशंगाबाद हेतु 8000 है। उदाहरणार्थ यदि आपके द्वारा 2 संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो राशि रू 40,000 / – की संकल्प धनराशि निगम में जमा रखी जावेगी एवं शेष राशि निविदाकार को वापस की जाऐगी	To be Submitted Online
9	ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटो प्रति अपलोड करे) (अनुसूची क्रमांक 02 3.01.07 अनुसार)	
10	फर्म द्वारा किसी उद्योग में किए गए हाउस कीपिंग के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि) (अनुसूची क्रमांक 02 03.01.04 अनुसार)	

11	फर्म का विगत तीन वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20,) का टर्नओवर (अनुसूची कमांक 02 . 01.05 अनुसार)	
12	फर्म में दिनांक 31.03.2020 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाईजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 31.03.2020 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	
13	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ कमांक 1 से 23 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ कमांक 22) की फोटो प्रति अपलोड नही की जाना है।	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

क्र	स्थान	EMD
1	**2**	**3**
1	देवास	
2	धार	
3	मण्डला	
4	शिवपुरी	
5	रीवा	
6	सागर	
7	होशंगाबाद	
	कुल जमा ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम ....

नोट :–

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 19.06.2020 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. तृतीय तल पंचानन भवन,, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है ।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कार्य का स्वरूप

1. सामान्य जानकारी –

01. निगम द्वारा यह निविदा म.प्र. के विभिन्न जिलों में संचालित किये जा रहे पोषण आहार संयंत्रों में हाउसकीपिंग कार्य करने हेतु आमंत्रित की गई है, अतः ठेकेदार को संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा, एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा ।
02. पोषण आहार संयंत्र देवास, धार, सागर शिवपुरी, मण्डला, रीवा, में स्थापित 2500 मी. टन क्षमता के पोषण आहार संयंत्रों व होशंगाबाद में 600 मीटन क्षमता के पोषण आहार संयंत्र में हाउस कीपिंग का कार्य प्रति मी.टन दर पर ठेका पद्धति से कराया जाना है ।
03. तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) को छोड़कर सभी दिवसों में कार्य किया जाएगा । अन्य अवकाश के संबंध में संयंत्र प्रभारी एक दिवस पूर्व जानकारी देंगे।
04. उक्तानुसार संयंत्र महिला स्व सहायता समूह के परिसंघों द्वारा संचालित है। ठेकेदार का दायित्व है कि वे कार्य में आवश्यकता अनुसार महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों /उनके परिवार के सदस्यों को अधिकाधिक संलग्न करें जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।

2. कार्य का स्वरूप

1. संयंत्र की साफ सफाई – पाउडर एवं खिचडी संयंत्रों एवं थर्मोपेक कक्ष की छत, फर्श, दीवालों, (जालें इत्यादि नही रहें) टूयबलाईटों, फ्लाईकेचर, फायरऐक्सटेंग्यूशर इत्यादि की तीन दिन में एक बार साफ सफाई (फर्श की सफाई प्रतिदिन दो बार)।
2. गोदामों की साफ–सफाई – कच्ची सामग्री गोदाम (गेहू, चनादाल, चावल, मूगंदाल, शक्कर, सोयाफ्लोर/ग्रिट मसाला मिल्क पाउडर विटामिन एवं मिनरल प्रीमिक्स) की छत, फर्श, दीवालों, (जालें इत्यादि नही रहें) टूयबलाईटों, फ्लाईकेचर, फायरऐक्सटेंग्यूशर इत्यादि की तीन दिन में एक बार साफ सफाई (फर्श की सफाई प्रतिदिन दो बार), रोशनदान की साफसफाई रोशनदान की पटटी पर धूल एवं कचरा न रहें शटर की साफसफाई, किसी भी स्थिती में गोदाम के अन्दर/बाहर किसी को भी पान की पीक न थूकने दे, यदि ऐसा हो तो उसकी तत्काल साफ–सफाई की जाये।
3. तैयार पोषण आहार भण्डारण गोदाम/रिजेक्टेड पाउच कक्ष – छत, फर्श, दीवालों, (जालें इत्यादि नही रहें) टूयबलाईटों, फ्लाईकेचर, फायरऐक्सटेंग्यूशर

इत्यादि की तीन दिन में एक बार साफ सफाई (फर्श की सफाई प्रतिदिन दो बार), रोशनदान की साफसफाई रोशनदान की पटटी पर धूल एवं कचरा न रहें शटर की साफसफाई, किसी भी स्थिती में गोदाम के अन्दर/बाहर किसी को भी पान की पीक न थूकने दे, यदि ऐसा हो तो उसकी तत्काल साफसफाई की जाये। रिजेक्टेड पाउच कक्ष में पाउडर खिचडी एवं फटे पाउच, तेल फर्श पर न रहे।

4. संयंत्र प्रभारी कक्ष/डिस्पेच कक्ष/ लेखा कक्ष/ सुरक्षाकर्मी कक्ष/ स्टोर कक्ष /वर्कशाप कक्ष/ विद्युत कक्ष/प्रयोग शाला कक्ष/तौलकांटा कक्ष/पुरूष तथा महिला विश्राम कक्ष इत्यादि –छत, अलमारी, फ्रिज, रेक, टेबिल, कुर्सी फर्श, दीवालों, (जालें इत्यादि नही रहें) टूयबलाईटों, फ्लाईकेचर, फायरऐक्सटेंग्यूशर इत्यादि की तीन दिन में एक बार साफ सफाई (फर्श की सफाई प्रतिदिन दो बार), रोशनदान की साफसफाई रोशनदान की पटटी पर धूल एवं कचरा न रहें।
5. बगीचे की साफ सफाई (घास की कटाई – माह में तीन बार, समयानुसार मौसमी फूल पौघों का रोपण, खाद एवं कीटनाशक का समयानुसार उपयोग)/ प्रतिदिन, संयंत्र के चारो और की नालियों की साफ सफाई, संयंत्र के चारो और की पाइपों की साफ सफाई– तीन दिन में एक बार, संयंत्र के चारो और की सडकों की साफ सफाई– दिन में एक बार/शौचालय – दिन में दो बार एवं बरामदा – दिन में दो बार।

साफ–सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार संयंत्र द्वारा प्रदाय किये गये एसिड, फिनाईल, सभी प्रकार का पोछा, सभी प्रकार की झाड़ू, साबुन, सोडा इत्यादि के युक्ति युक्त उपयोग से किया जायेगा।

3. सामान्य शर्ते

3.1 अर्हता –

3.1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हो।

3.1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।

3.1.3 निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में हाउसकीपिंग कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित में दक्ष कर्मी होना चाहिए।

3.1.4 निविदाकर्ता के पास हाउसकीपिंग कार्य ठेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

3.1.5 2500 मी टन क्षमता के एक या एक से अधिक संयंत्रों हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम 40.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 10.00 लाख़ व 600 मी टन क्षमता के संयंत्र हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम 8.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 03.00 लाख़ होना आवश्यक है। निविदाकर्ता फर्म का विगत तीन वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) का टर्नओवर का चाटर्ड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र अपलोड करे यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टर्न ओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदाकार निविदा प्रस्तुत करे एवं जिस स्थान पर कार्य करना चाहते हैं, उस स्थान के समक्ष ही अनुसूची 4 में दरें प्रस्तुत करें । यदि यह पाया जाता है कि टर्नओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदा प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी निविदा को विचार क्षेत्र में न लेते हुए निरस्त कर दिया जाएगा ।

3.1.6 निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो।

3.1.7 ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो। (यदि सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सील एवं हस्ताक्षर सहित पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह हाउस कीपिंग के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की दशा में उपरोक्त प्रमाणपत्र कार्य स्वीकृत करने की दिनांक से 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा)

3.1.8 कमांक 1 से 7 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा कमांक 7 का यदि आवश्यक हो तो वचन पत्र प्रस्तुत करें ।

4. <u>आनलाईन निविदा पत्र</u> की प्राप्ती–

4.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 1.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का कय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 01.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है।

4.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर कय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 5000+GST = 5900 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है ।

4.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

4.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं व संयंत्र की भौतिक स्थितीयों से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

5. **<u>प्री बिड मीटिंग</u>**– निविदा के संबंध में दिनांक 12.06.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे महाप्रबंधक (पोषण आहार) एपी स्टेट एग्रो इण्ड कार्पो लि तृतीय तल पंचानन भवन के कक्ष में आयोजित होगी । संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 12.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे । प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तो कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे ।

6. निविदा के साथ संकल्प धनराशि का का भुगतान आनलाईन किया जाना आवश्यक है एवं विवरण पृष्ठ कं 8 पर दिया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी –

क्र0	संयंत्र की संख्या	EMD
1	2500 मी.टन क्षमता का एक	20000
2	2500 मी.टन क्षमता का दो	40000
3	2500 मी.टन क्षमता का तीन	60000
4	2500 मी.टन क्षमता का चार	80000
5	2500 मी.टन क्षमता का पांच	100000
6	2500 मी.टन क्षमता का छः	120000
7	600 मी.टन क्षमता का एक	8000
	कुल	128000

संकल्प धन राशि प्रत्येक संयत्र हेतु कालम 3 के अनुसार निधारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को सभी सयंत्रों हेतु आवश्यक पूर्ण राशि रू 1,28,000 जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

6.2 **संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है** :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रमांक 4.3 में वर्णित दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की **संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में** वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7. **निविदा प्रस्तुत किया जाना** –

7.1 ऑन लाईन निविदा दिनांक 19.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

7.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लेवें। mptenders की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

7.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।

2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
3. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
4. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
6. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
7. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
8. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
9. अनुसूची क्रं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर–वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत् स्केन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

7.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर) दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में **''हाउस कीपिंग का कार्य हेतु निविदा–तकनीकी विवरण''** लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है । **लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण** –

1. शर्त क्रं 4.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 5900/–ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण ।
2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प राशि ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण।
3. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र ।
4. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
5. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ कं. 1 से 20 तक) (पृष्ठ क्रमांक 19 को छोड़कर)
7. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
8. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

7.5. अनुसूची–5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

7.5 लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''**पोषण आहार संयंत्रों में हाउसकीपिंग कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण** '' लिखा जावे ।

8 <u>निविदा खोला जाना</u>–

8.1 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह् 1.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

8.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

8.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त क्रं 7.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

8.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

9 <u>दर प्रस्तुत करना</u> –

9.1 **<u>हाउसकीपिंग के कार्य हेतु</u>** हेतु प्रति वर्गफुट के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये।

9.2 दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय सम्मिलित रहेंगे ।

9.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

9.4 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा ।

9.5 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

10. <u>निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध</u> –

10.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।

10.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी ।

10.3 प्रबंध संचालक द्वारा कडिंका क्र0 9.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।

10.4 उक्तानुसार कडिंका 9.1 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–5 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

10.5 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

10.6 उपरोक्त कण्डिका क्र0 9.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकार को देते हुए अनुबंध कर कार्य आवंटन कर सकेंगे । द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार के सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

10.7 चूंकि समस्त लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करना आवश्यक है, अतः निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 10.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

11. <u>अनुबंध</u> –

11.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता ठेकेदार कहलाऐंगे।

11.2 निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची–5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। निविदाकार द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम निविदाकार द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से निविदाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

11.3 अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2021 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।

11.4 अनुबंध होने के उपरांत हाउसकीपिंग का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि हाउसकीपिंग कार्यकर्ता/ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

12. **धरोहर राशि**–

12.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

12.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

12.3 **धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है**–

1. हाउसकीपिंग ठेकेदार द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
2. हाउसकीपिंग ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।

13. **कार्य का स्वरूप तथा दायित्व** –

13.1 हाउसकीपिंग कार्य सप्ताह के सातों दिन किया जाएगा।

13.2 हाउसकीपिंग कार्य हेतु एक सुपरवाईजर, तथा समुचित संख्या में सफाईकर्मी रहेंगे। एक कर्मी कार्यालयीन कार्य के लिए दिया जाना होगा।

13.3 निविदाकर्ता का यह दायित्व है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व वे समान कार्य हेतु स्थापित संयंत्रों में हाउसकीपिंग कार्य का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली से अवगत हो।

13.4 निविदाकर्ता का ठेकेदार के रूप में नियमानुसार चयन कर अनुबंध के उपरान्त हाउसकीपिंग से संबंधित उपकरण एवं सामग्री ठेकेदार को सौपे जाएंगे। इसके उपरान्त हाउसकीपिंग कार्य का संचालन ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियोजित कर्मियों से कराया जाएगा, एवं हाउसकीपिंग कार्य के व्यवस्थित निष्पादन का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा। ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये उपकरणों एवं सामग्री के युक्तियुक्त एवं सही उपयोग की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी किसी भी स्थिति में उपलब्ध उपकरणों एवं सामग्री का दुरूपयोग नही होने दिया जाएगा।

13.5 उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में हाउसकीपिंग कर्मी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाना होगी जिससे हाउसकीपिंग का कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके, तथा उसके द्वारा नियोजित कर्मियों की सूची संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों से हाउसकीपिंग का कार्य समुचित रूप से नही हो पाता है तो ठेकेदार को समुचित हाउसकीपिंग कार्य आवश्यक कार्यवाही कर कराना होगा। जब कभी संयंत्र में विशेष आमंत्रितों का आगमन होगा उस समय सामान्य साफसफाई से अधिक साफसफाई एवं अन्य कार्यवाहियॉ की जाना होगी जिसके लिए ठेकेदार को किसी अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

13.6 ठेकेदार की असावधानी से यदि हाउसकीपिंग कार्य समुचित रूप से नही हो पाता है, पर्याप्त संख्या में कर्मी उपस्थित नही रहते है तथा हाउसकीपिंग कार्य नही हो पाता है तो निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से हाउसकीपिंग कार्य कराया जाऐगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

13.7 हाउसकीपिंग कार्य के निष्पादन से कार्य के दौरान यदि कोई हानि होती है तो इसकी सूचना तत्काल ठेकेदार द्वारा संयंत्र प्रभारी को दी जायेगी। संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे कि हानि ठेकदार की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है।

यदि ठेकेदार की असावधानी से संयंत्र में कोई हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जायेगी।

13.8 यदि संयंत्र प्रभारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों से संयंत्र में कार्य कराना निगम के हित में नही है तो ठेकेदार को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित हाउसकीपिंग कर्मियों को नियोजित करना होगा।

13.9 ठेकेदार का दायित्व होगा की वह हाउसकीपिंग कार्य का उचित प्रकार से निष्पादन करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे।

13.10 ठेकेदार (अनुबंधकर्ता) को शासकीय श्रम नियमों एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा हाउसकीपिंग कार्य हेतु नियोजित आपरेटर/लेबरों को ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित आपरेटर/लेबरों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा नही किया जायेगा।

13.11 यदि ठेकेदार द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा निगम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नही होगा।

13.12 ठेकेदार द्वारा नियोजित हाउसकीपिंग कर्मियों की सुरक्षा तथा देनदारियों का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या अन्य स्थिति में ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हाउसकीपिंग कर्मियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरूद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा।

13.13 ठेकेदार द्वारा नियुक्त कोई भी कर्मी किसी भी रूप में निगम के नियोजन में नही माने जायेंगे तथा ऐसे हाउसकीपिंग कर्मियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13.14 ठेकेदार का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित कर्मियों को करें। किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए निगम उत्तरदायी नही होगा।

13.15 ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों के कार्यों/गलतियों के कारण या ठेकेदार के कार्यों/गलतियों के कारण निगम को हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी।

13.16 ठेकेदार अपने दायित्वों को पूरा करने दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।

13.17 ठेके की अवधि की समाप्ति के पश्चात ठेकदार संयंत्र से प्राप्त सभी सामग्रियां उसी स्थिति में जिसमें उसे प्राप्त हुई हैं, संयंत्र को वापिस करेगा। किसी भी कमीबेशी/खराब सामग्री की राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

13.18 ठेकेदार निम्न के संबंध में निगम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगाः–

- कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा ।
- कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।

- लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।

13.19 ठेकेदार द्वार हाउसकीपिंग कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचरियों के संबधं में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से निगम के कर्मचारी माने जाएंगे।

14. <u>भुगतान</u>–

14.1 हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

14.2 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

14.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता का रहेगा, इस आधार पर हाउस कीपिंग का कार्य नहीं रोका जायेगा।

14.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

15. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

16. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

17. **Force majour clause** लागू रहेंगे जिसके निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।

18. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगें, आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

हाउस कीपिंग का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में हाउस कीपिंग का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

FINANCIAL BID EXCLE SHEET

Annexure 4

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FINANCIAL BID

FOR HOUSE KEEPING WORK ON CONTRACT BASIS

The rate is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted per Sq. feet for the works mentioned at Sr. No. A and B and 10 of Annexure 2

Name of the Bidder ....'
Address .---

SR	PLACE	AREA	RATE PER Sq. Feet		
			RATE	GST	TOTAL
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	DEWAS	INTERNAL			
		OUTER			
2	DHAR	INTERNAL			
		OUTER			
3	MANDLA	INTERNAL			
		OUTER			
4	SHIVPURI	INTERNAL			
		OUTER			
5	REWA	INTERNAL			
		OUTER			
6	SAGAR	INTERNAL			
		OUTER			
7	HOSHANGABAD	INTERNAL			
		OUTER			

Note: Rates mentioned in column no 4 will be considered for comparison purpose.

Signature of the Bidder along with seal

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे '' हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता '' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्रों पर हाउस कीपिंग का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से ठेकेदार के ऑफर को मान्य किया गया है / निगम की प्रतिप्रस्तावित दर प्रदायक द्वारा को मान्य करते हुए .... जिलों में स्थापित पोषण आहार सयंत्र में हाउसकीपिंग के कार्य को किये जाने हेतु अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता का सहमति पत्र
3. हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

हाउस कीपिंग सेवा प्रदाता

1.

2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)